

भारत सरकार
राजस्व विभाग

BY SPEED POST

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 18 अप्रैल 2014

सेवा में,



विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार पत्र दिनांक 02.04.2014 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि अनुभाग को वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (आई.टी.सी.सी.), राजस्व विभाग के पत्र संख्या 402/3/2014- आई.टी.सी.सी. दिनांक 5 अप्रैल 2014 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में, अधोहस्ताक्षरित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी की सूचना शून्य समझी जाए।

2. अपील यदि कोई हो, श्री अरविन्द सगन, उप सचिव(प्रशासन) व प्रथम अपिलेट प्राधिकारी, राजस्व विभाग, कमरा न.48-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को 30 दिनों के अन्दर की जा सकती है।

भवदीय,

राधेवेन्द सिंह
(राधेवेन्द सिंह कुशवाह)
18/4/14

अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि: आर.टी.आई. सेल, राजस्व विभाग को उनके पत्र सं.1102714 दिनांक 02.04.2014 के संदर्भ में प्रेषित।

[Handwritten signature]
22/4/14

[Handwritten signature]